

सेवामें,

श्रीमान सहायक कलेक्टर (एस डी ओ) महोदय,

गुडामालानी

वादीगण :-

1. ताजाराम पुत्र गोमदाराम उम्र 41 वर्ष
2. चम्पालाल पुत्र गोमदाराम उम्र 45 वर्ष
3. बबरी पत्नि गोमदाराम उम्र 70 वर्ष
4. रामाराम पुत्र मोटाराम उम्र 72 वर्ष जाति सुथार

निवासी तेजियावास बेरीगांव तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

बनाम:-

प्रतिवादीगण :-

1. धना पुत्र गुमना उम्र 55 वर्ष
2. जोरा पुत्र गुमना उम्र 52 वर्ष
3. हुकमाराम पुत्र दमाराम उम्र 48 वर्ष
4. मोहन पुत्र गोरखा उम्र 45 वर्ष
5. खेराज पुत्र गोरखा उम्र 40 वर्ष
6. किसना पुत्र गोरखा उम्र 38 वर्ष
7. नेनु पत्नि गोरखा फोट के कायम मुकाम

प्रतिवादी संख्या 4 से 6 पक्षकार

जाति सुथार निवासी तेजियावास तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

8. शाखा प्रबन्धक एस बी बी जे बैंक गुडामालानी

9. श्रीमान तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान कायदा

अधिनियम वास्ते खातेदारी घोषणा, विभाजन एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण का वाद पत्र निम्न प्रकार है :-

1. कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पुस्तैनी सयुक्त कब्जा काश्त एवं खातेदारी का खेत मौजा तेजियावास पटवार क्षेत्र बेरीगांव तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर में खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 64 रकबा 33-08 बीघा किस्म बा. दो., का आया हुआ है। जमाबन्दी नक्सा की प्रति सलग्न है।
2. कि उक्त विवादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 64 रकबा 33-08 बीघा किस्म बा. दो., मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का सयुक्त कब्जा काश्त का खेत आया हुआ है। कि वादीगण संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का $1/18-1/18$ हिस्सा तथा वादीगण संख्या 4 का $1/6$ हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का $1/8$ हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का $1/24$ हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का $1/3$ हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 से 7 का सयुक्त $1/6$ हिस्सा कब्जा काश्त एवं मालिकान हक हकूक का है। कि उक्त विवादग्रस्त आराजी मे वादीगण के कब्जे काश्त की जमीन पर अपनी अपनी ढाणिये पशु चारबाडे बने हुऐ है एवं पानी के टांके बने हुऐ है।
3. कि वादीगण की कब्जे काश्त की भूमि थी अब रोज पांच दिन पुर्व प्रतिवादीगण ने वादीगण को आकर के धमकी दी कि आप यहां से हट जाओ नही तो हम जबरन आपकी ढाणीये उखाडकर के बैचान कर देगे कि उक्त विवादग्रस्त आराजी कटटान रास्ते पर लगती हुई आई हुई है। कि अब प्रतिवादीगण बार बार यही धमकी दे रहा हे कि कटटान रास्ते पर पुरा मैं ही कब्जा करूंगा कि उक्त कटटान रास्ते के सहारे सहारे वादीगण की ढाणीये एवं टाकें बने हुऐ यदि प्रतिवादीगण उक्त विवादग्रस्त आराजी यदि बैचान कर दिया तो